संलग्नक-2

लखनऊ एवं इलाहाबाद महानगर हेतु ग्रॉस कास्ट मॉडल के आधार पर बस संचालक के चयन के लिए आर0एफ0पी0 अभिलेख पर विचार विमर्श हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 20.03.2018 को सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त।

उक्त बैठक में निम्नांकित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:--

1. श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय,अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ।
4. श्री संजय कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग,उ0प्र0 शासन।
5. श्री महेन्द्र कुमार, संयुक्त निदेशक, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. श्री अनिल कुमार उपाध्याय, विशेष सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।

बैठक में लखनऊ एवं इलाहाबाद महानगर हेतु ग्रॉस कास्ट मॉडल के आधार पर बस संचालक के चयन के लिए तैयार आर0एफ0पी0 अभिलेख को अन्तिमकृत करने हेतु व्यापक विचार–विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित बिन्दुओं पर सहमति प्रदान की गयी:--

- ग्रास कास्ट मॉडल के आधार पर बसों के संचालन हेतु न्यूनतम संचालन एवं अनुरक्षण दर (Operation and Maintanence Cost) उपलब्ध कराने वाले निविदाकर्ता को बस संचालक के रूप में चयनित किया जायेगा। अनुबन्ध की अवधि 10 वर्ष होगी।
- चयनित बस संचालक द्वारा लखनऊ में पुरानी बसों के संचालन के साथ–साथ नयी बसों के संचालन हेतु 300 नई बसें एक वर्ष के अन्दर लगाई जायेगी, जिसमें 150 बसें ए0सी0 मिडी एवं 150 बसें नॉन ए0सी0 मिडी होगी। इन नई बसों के मूल्य का 40 प्रतिशत अनुदान के रूप में बस संचालक को दिया जायेगा।
- चयनित बस संचालक द्वारा इलाहाबाद महानगर में नये बसों के संचालन हेतु 250 नई बसें एक वर्ष के अन्दर लगायी जायेगी, जिसमें 100 बसें ए0सी0 मिडी, 100 बसें नॉन ए0सी0 मिडी, 25 बसें बड़ी लो फ्लोर ए0सी0 एवं 25 बसें बड़ी लो फ्लोर नॉन ए0सी0 होगी।
- निविदा में भाग लेने हेतु निविदाकर्ता को निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करनी होगी:--

(i) निविदाकर्ता का विगत तीन वर्षो में औसत वार्षिक टर्न ओवर रू0 ~~20.00~~ 15.00 करोड़ एवं नेटवर्थ रू0 10.00 करोड़ होना चाहिए। निविदाकर्ता का विगत तीन वर्षो में लखनऊ शहर हेतु ~~100~~ 50 बसों एवं इलाहाबाद शहर हेतु ~~75~~ 30 बसों के संचालन का अनुभव होना चाहिए।

(ii) पुरानी बसों का हस्तान्तरण शुल्क (Handing over fee) बसों के ह्रासित मूल्य का 10% होगा।

लखनऊ एवं इलाहाबाद शहर हेतु बसों पर विज्ञापन से होने वाली आय का ~~80~~ 70% भाग संचालक को दिया जायेगा तथा शेष ~~20~~ 30% भाग एस्क्रो खाते में जमा होगा।

उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार–विमर्श के उपरान्त निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावित आर0एफ0पी0 अभिलेख को मा0 मंत्री परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनुमोदित किया।

उपर्युक्तानुसार हुए विचार–विमर्श तथा संस्तुति के पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

भवदीय,

4.3.18

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

उ0प्र0 शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्याः 1052 / नौ–5–2018–83सा / 2009टीसी
लखनऊःदिनांकः 03 मार्च, 2018

प्रतिलिपि बैठक में उपस्थित समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

Brijesh GO